अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

संदिग्ध/अवैध जमाबंदी रद्द अभिलेख स0 79/19-20

बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h के तहत जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित।

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
23/3/19	झारखंड सरकार के ज्ञापांक–2074/रा0 दिनांक–13.05.2016 सहपठित–श्री अनुज मुखर्जी निर्देशक, भू–अर्जन–सह–विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या–3–खा0 म0 निति–119/85/2308/रा0 दिनांक 03.09.1985 एवं सह–पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या–914/रा0 दिनांक 09.12.1998 मे निहित निर्देश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियो की जॉच प्रारंभ की गयी। जांच के कम मे हल्का राजस्व उपनिरिक्षक (राजस्व कर्मचारी) के द्वारा प्रतिवेदित किया गया विवरणी निम्नवत है– मौजा–कोला कुशमा मौजा न0– 12 खाता न0 142 प्लॉट न0 1298 रकबा 3 कठा 2½ [illegible] की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार(झारखंड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है जिसकी जमांबदी उस मौजा के पंजी–।। के जिल्द संख्या 17 के पृष्ठ संख्या 3117 पर जमाबदी रैयत श्री राजेन्द्र कुमार उपाध्याय, पिता त्रिलोकी [illegible] के नाम से कायम है। हल्का राजस्व उपनिरिक्षक(राजस्व कर्मचारी) के द्वारा जांचोपरांत उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमांबदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। जॉच प्रतिवेदन से प्रतित होता है कि उपर्युक्त जमांबदी किना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बदोबस्ती के आधार प/अवैध कोडकर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है जिसका उदेश्य निजि लाभ एंव राज्य को क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमांबदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है। अतः– उपरोक्त जॉच प्रतिवेदन पर अंचल–निरिक्षक का मंतव्य प्राप्त करे। अभिलेख दिनांक 1/4/19 को रखे। 23.3.19 अंचल अधिकारी, धनबाद।	

1/5/19 अभिलेख उपस्थापित अंचल निरिक्षक से मंतव्य / प्रतिवेदन अप्राप्त है। अभिलेख दिनांक 15/5/19 को रखे।

.5.19
अंचल अधिकारी
धनबाद।

15/5/19 अभिलेख उपस्थिापित। अधोहस्ताक्षरी निर्वाचन कार्य मे व्यस्त रहने के कारण अभिलेख की सुनवाई नही हो सका।
अभिलेख दिनांक 29/5/19 को रखे।

15.5.19
अंचल अधिकारी
धनबाद।

15/6/20 अभिलेख उपस्थापित। अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन मंतव्य सहित प्राप्त। प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विपक्षी को नोटिस निर्गत करे। अभिलेख दिनांक 29/6/20 को रखें।

15.6.20
अंचल अधिकारी
धनबाद।

29/6/20 अभिलेख उपस्थपित। अभिलेख के अवलोकनोपरान्त पाया कि मौजा कोला कुसमा मौजा न0 12 खाता 152 प्लाट न0 1298 रकवा 3 कट्ठा 4½ छटाक भूमि से संबधित है। आवेदित भूमि गत सर्वे खतियान के अनुसार गैरआवाद खाते की भूमि है। जमाबंदी रैयत के खोज बीन के उपरान्त पता नही चल सका, जिसके कारण बिना नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है (सुलभ प्रसग हेतु नोटिस की प्रति संलग्न)। आवेदित भूमि दाखिल खारिज केस न0 ....(......) .... के अनुसार कायम है। तत्कालीन अचल अधिकारी , धनबाद द्वारा उक्त पंजी को संदेहास्पद माना गया है। जिसे सबधित उप निरीक्षक एव अंचल निरीक्षक ने उक्त जमाबंदी को रद्द हेतु प्रस्ताव प्रतिवेदन अनुशंसा सहित समर्पित किया

अतः जॉच प्रतिवेदन के आलोक मे जमाबंदी रद्द हेतु अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्ता धनबाद को भेजे।

लेखापित एंव संशोधत।

25.6.20
अचल अधिकारी,
धनबाद।

25.6.20
अचल अधिकारी
धनबाद।

Scanned with CamScanner

अंचल अधिकारी का कार्यालय

वाद अभिलेख संख्या—.......74........../2019 (अन्तर्गत धारा—4(b), BLR Act, 1950)

सूचना

बनाम् श्री राजेन्द्र कुo उपाध्याय
पिता—श्री त्रिलोकी नाथ उपाध्याय
साo कुo कोला कुशमा

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा—.......................थाना नं0—................ खाता नं0—.................. खेसरा नं0—.....................रकबा—................. से संबंधित आपके नाम से ह0 नं0—............. के पंजी—II भाग........... के पृष्ठ..................पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक—.....................को समय—11:00 बजे पूर्वाह्न में उक्त भूमि का रिटर्न—I, भूमि बंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, फार्म M एवं सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व रसीदों निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति—युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकीद जानें।

तिथि:— मुहर अंचल अधिकारी

स्थान:— ....

....

robin C:\Users\HP\Desktop\binod sir\court case.docx

Scanned with CamScanner

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

4110

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- श्री राजेन्द्र कुमार उपाध्याय
पिता श्री त्रिलोकीनाथ उपाध्याय
सा० कृष्णनगरिया ग्राम

2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :-

मौजा	थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा
कोमलपुरा	12	142	1298	3 कट्ठा 2½ धुर

3. जमाबंदी पंजी – II के जिल्द संख्या ....1.7..... पृष्ठ सं0 .....3117.... पर कायम है–

4. जमाबंदी किस वर्ष से कायम है – 2006-07

5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :– गैर आवाद

6. किस सक्षम प्रधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :– लगान धार्य / बन्दो वस्ती/ दा0 खा0 मु0सं0.......... 862(II)
200607 जमाबंदी-2701 कि आदेश

7. यदि संदेहास्पद जामबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :– लालबिहारी पांडेय

8. मूल जमावंदी कायम किए जाने का आधर (अनिबंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भूबंदोवस्ती –
अ० (प) केस न० 1222 (II) – 04-05 – जमाबंदी – 287 कि आदेश

9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा
दाखिल रिटर्न / बन्दोबस्ती पंजी/ लगान निर्धारण पंजी / भू – हस्तांतरण पंजी

10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष –

क्र0 संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
1	2047873	18-8-06	06-07
2		26-11-10	10-11

Scanned with CamScanner